

¹[नियम 142क : विद्यमान विधियों के अधीन शोध के वसूली की प्रक्रिया

- (1) किन्हीं विद्यमान विधियों के अधीन जारी आदेश का सार जो कर की मांग, ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य शोध सृजित करे जो नियत दिन के पूर्व या पश्चात् विद्यमान विधि के अधीन आरंभ की गई कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वसूलनीय हो जाती हैं जब तक कि उस विधि के अधीन नहीं वसूली गई हो, अधिनियम के अधीन वसूल की जाएगी और अधिनियम के अधीन वसूली के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क** में, सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा और आदेश की मांग की इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर के भाग 2 में अंकित किया जाएगा।
- (2) जहां उप-नियम (1) के अधीन अपलोड किए गए किसी आदेश की मांग को अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण सहित किन्ही कार्यवाहियों में परिशोधित, उपांतरित या अभिसंज्ञित किया जाता है तो उसका सार, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-8क** में सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर के भाग 2 को तदनुसार अद्यतन किया जाएगा।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 60/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 30.10.2018 द्वारा नियम 142क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 30.10.2018)।